फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

नौरतीलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 30/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/12/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम झरना तह0 सिकराय जिला दौसा के खाता संख्या नया 125 पुराना 120 की वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के अशुद्ध नाम सहित अन्य सह खातेदारान के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी के शुद्ध नाम नौरतीलाल बैरवा पुत्र कन्हैयालाल बैरवा की जगह अशुद्ध नाम नरोती पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/12 दर्ज है। तथा खाता संख्या नया 73 पुराना 68 में नोरत्या पुत्र कन्हैया हि0 3/30 दर्ज है, खाता संख्या नया 72 पुराना 67 में नोरत्या पुत्र कन्हैया हि0 1/4 तथा नोरतीलाल पुत्र कन्हैया हि0 1/10 दर्ज है तथा खाता संख्या नया 49 पुराना 44 में नौरत्यालाल पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। इसलिए उक्त सभी खातो में प्रार्थी का सही नाम नौरतीलाल बैरवा पुत्र कन्हैयालाल बैरवा साकिन झरना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत अचलपुरा का जानकारी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि का अवलोकन किया गया जिन सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम नौरतीलाल बैरवा पुत्र कन्हैयालाल बैरवा ही है। इसलिए उक्तानुसार शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का सही नाम नौरतीलाल बैरवा पुत्र कन्हैयालाल बैरवा दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	